



भाविप्रा/ जाम/ पथोलोजी लेब / 2020 / 687-698

17.06.2020

परिपत्र / CIRCULAR

विषय:- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जामनगर पैथोलॉजी लेबोरेटरी के एम्पनेलेमेंट संबंध में।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जामनगर विमान क्षेत्र द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के लिए दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 अवधि के लिए निम्नलिखित पैथोलोजी लेबोरेटरी को एम्पनेलमेन्ट किया गया है :-

1. मोदी लेबोरेटरी, 206, जॉली Bungalow कॉम्प्लेक्स, एस.टी. डिपो रोड, जामनगर,
2. यूनीपथ स्पेसिअलिटी लेबोरेटरी एलटीडी. "राज संस्कृति" ग्राउंड फ्लोर opp. एस.टी. बस स्टैंड, सुम्मेर क्लब रोड, जामनगर,
3. स्टर्लिंग Accuris डायग्नोस्टिक्स, 203, मानेक सेन्टर, पी.एन मार्ग, Opp. इनकम टैक्स ऑफिस, जामनगर,
4. नयूबेर्ग सुप्राटेक बिंदिशसुपेरेटेक डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, LCP ग्राउंड फ्लोर, रुद्राक्स कॉम्प्लेक्स, नियर डॉ. तकवानी हॉस्पिटल, इंदिरा मार्ग, जामनगर,
5. वेदांत इमेजिंग सेन्टर, वी.एम.शाह होस्पिटल के पीछे, opp. एस.टी. बस स्टैंड, सुम्मेर क्लब रोड, जामनगर,

उपरोक्त पैथोलोजी लेब की सुविधां केवल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्मिकों एवं उनके पर आश्रित परिवारजनों के लिए भाविप्रा के नियमानुसार लागू रहेंगी।

भाविप्रा के कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के उपचार के लिए भाविप्रा से जारी पहचान / चिकित्सा पत्र वैधता के रूप में लेबोरेटरी में प्रदर्शित करना होगा।

3. यह सुविधां भाविप्रा कार्मिकों के लिए खर्च के पश्चात भूगतान सुविधां होने के कारण किये गये लेबोरेटरी टेस्ट का भूगतान कार्मिकों द्वारा ही करना होगा एवं टेस्ट कराने वाले व्यक्ति / कार्मिक के नाम रसीद प्राप्त करना होगा। उनका भूगतान कार्यालय में बिल जमा करने पर केवल भाविप्रा निमानुसार ही किया जायेगा।

सेवा में,

भाविप्रा के सभी कार्मिकों (व्यक्तिगत रूप से)

*(प्रशांत जी महेश)*  
17/6/2020

सहा.प्रबंधक(मा.सं)

वृत्त विमानपत्तन निदेशक